# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 171/2024

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. अणदाराम पुत्र मलाराम<br>2. कृष्णकुमार पुत्र मलाराम<br>3. चनणाराम पुत्र मलाराम<br>4. मानाराम पुत्र मलाराम<br>5. रूखबाराम पुत्र मलाराम जाति भील निवासी नया खरंटिया तहसील सिणधरी | | 1. भैराराम पुत्र पुनमाराम<br>2. रावताराम पुत्र पुनमाराम<br>3. केसाराम पुत्र पुनमाराम<br>4. खेराजराम पुत्र पुनमाराम जाति भील निवासी खरंटिया तहसील सिणधरी<br>5. तहसीलदार सिणधरी |

## राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री रूगाराम सियाग, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से उपस्थित।
3.विप्रार्थी संख्या 01 से 04 एकतरफा।

## आदेश

दिनांक– 08.01.2025

**1.**संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 193/141 क्षेत्रफल 7.6208 हैक्टर ग्राम नया खरंटिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं [illegible] मध्य विप्रार्थी स. 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 192/141 रकबा [illegible] मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण [illegible] भूमि से होकर [illegible] तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 4 की उक्त [illegible] में से होकर गुजरना [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

विप्रार्थी संख्या 01 से 04 भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम नया खरंटिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 192/141 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

**2.**प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 4 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

**3.**उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 193/141 क्षेत्रफल 7.6208 हैक्टर ग्राम नया खरंटिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 192/141 रकबा 7.6289 हैक्टयर ग्राम नया खरंटिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 04 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 04 भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

**4.**विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 193/141 क्षेत्रफल 7.6208 हैक्टर ग्राम नया खरंटिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी से सड़क मार्ग के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 04 के खेत खसरा संख्या 192/141 रकबा 7.6289 हैक्टयर ग्राम नया खरंटिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी में से नया रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 2679/10.10.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा नया खरंटिया पटवार मण्डल खरंटिया की खसरा संख्या 193/141 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 192/141 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुंख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 01 व 04 को न्यायालय से जरियें रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 04 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी जवाब नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ से भली–भांली जानकार है तथा जानबूझकर प्रकरण में निस्तारण हेतु जवाब पेश नहीं कर रहे अथवा प्रार्थीगण की इस्तदुआ से सहमत है। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 192/141 में लम्बाई 26 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.0324 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–269734/– रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी. एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम नया खरंटिया पटवार मण्डल खरंटिया के खसरा संख्या 192/141 में लम्बाई 26 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.0324 हैक्टयर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ———दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को विप्रार्थी संख्या 01 से 04 को क्षतिपूर्ति की गणना कर भुगतान हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांक:भू.अ. /2024/2849 दिनांक 10.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner